उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

23/5/25

पत्रावली पेश/पक्षकारान वादी अधि॰ वादी
अब वाद में स्वीकार किये जाने हेतु विस्तृत निर्णय
प्रकरण के निमित्त जाकर पत्रावली शामिल व पत्रावली
को [illegible] कर [illegible] जाकर [illegible]
नकल के शामिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
202 / 2021	17.06.2021	23.04.2025

बउनवान

1. सन्तरा देवी पत्नी रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी वार्ड सं0 3 बावल तह0 बावल जिला रेवाडी हरि0।

—: वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी नांगल उदिया तह0 मुण्डावर जिल अलवर राज0।
2. सुमन देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति अहीर निवासी पलावा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री अरूण पण्डित :— वादी अधिवक्ता

वादी के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी हाल ख0न0 1355 रकबा 0.53 हैक०, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त आराजी हाल ख0न0 1355 रकबा 0.53 हैक०, वर्तमान सैटलमेंट के द्वौरान गत ख0 न0 1485 रकबा 0.53 हैक०, से पैमूद हुआ है।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी हाल ख0न0 1355 रकबा 0.53 हैक०, के गत ख0न0 1485 रकबा 0.53 हैक0 रहे है, जो आराजी प्रतिवादी स0 1 के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है जिस पर वादी काबिज काश्त रहा है।

यह है कि वादी ने दिनांक 24/1/2019 को उक्त विवादित आराजी में से 1/2 भाग का दानपत्र मिन वादीया के हक में तहरीर वो तकमील कराकर, उप पंजियक मुण्डावर में तस्दीक करा दिया तथा वक्त दानपत्र से मिन वादीया आराजी पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है।

5. यह है कि मिन वादीया ग्रामीण महिला रही है. जो अपनी दानपत्र से प्राप्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है तथा लेकिन उक्त आराजी बैंक रहन होने के कारण, मिन वादीया के नाम दानपत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका तथा आराजी राजस्व रिकॉड में दानपत्र कर्ता के नाम ही दर्ज चली आ रही थी।

6. यह है कि प्रतिवादी स0 1 के मन में बदयान्ती आ रही है, जो मिन वादीया के नाम दानपत्र कराने के बाद, राजस्व रिर्कोड में अपने नाम का अंकन होने का बेजा फायदा उठाकर सालिम आराजी को प्रतिवादी स0 2 को बिला कब्जा पोशीदा व नुमाईसी रजिस्टेड बैयनामा के बेचान कर दिया तथा प्रतिवादी स0 2 ने बैयनामा के आधार पर इन्तकाल स0 2798 दिनांक 5/2/2021 के अपने नाम इन्तकाल दर्ज व मंजूर करा लिया, इसलिए मिन वादीया, प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के नाम कराये गये वैयनामा व वैयनामा के आधार पर दर्ज इन्तकाल स0 2798 को अपने हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिलाकर, अपने आपकों विवादित आराजी में दानपत्र के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित कराकर, इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में अंकन दर्ज कराने की अधिकारी है। इसलिए दावा इश्तकरारहक मय दूरुस्ती पेश करना लाजिमी आया है।

7. यह है कि मिन वादीया अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रही है, इसलिए मिन वादी को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 2 के हक में किये गये बैयनामा की जानकारी नही हुई, लेकिन अब दिनांक 15/4/2021 को प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित आराजी पर आकर, मिन वादीया के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा किया तथा मिन वादीया को आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया जिस पर मिन वादीया ने मना किया तो प्रतिवादी सं0 2 ने ऐलानिया तौर पर कहा कि मैने प्रतिवादी स0 1 आराजी का बैयनामा मेरे नाम तस्दीक करा लिया है तथा तुझे आराजी से बेदखल कर, काश्त नहीं करने दूगा तथा आराजी को दिगर लोगों को बेचान कर दूंगा। बस यही वाद हेतु बिनायदावी व बिनायमुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है।

8. यह है कि विवादित आराजी राजस्व रिर्कोड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी स0 1 ने विवादित आराजी का 1/2 भाग का मिन

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादीया के हक में रजिस्टेंड दानपत्र किया है, लेकिन आराजी बैंक रहन होने के कारण मिन वादीया के नाम दानपत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज नही हुआ तथा आराजी राजस्व रिकॉड में प्रतिवादी स0 1 के नाम ही दर्ज चही आ रही थी तथा प्रतिवादी स0 1 ने राजस्व रिर्कोड में दर्ज अंकन का बेजा फायदा उठाकर, आराजी का बेचान प्रतिवादी स0 2 के हक में बिना कब्जा कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 2 ने अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराकर, मिन वादीया को आराजी से बेदखल करने पर आमादा हो रही है तथा आराजी मिन वादीया को दानपत्र से प्राप्त होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन वादीया के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादी सं० 2 अपने इन बेजा नापाक इरादों में कामयाब हो गया और विवादित आराजी को मुन्तकिल कर दिया या मिन वादीया को आराजी से बेदखल कर, कब्जा कर लिया तो मिन वादीया को दादालाई की आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा मिन वादीया के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी और नापूर्ती होने वाली क्षति होगी, जिसकी पूती किसी भी प्रकार से रूपयै पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जावेगा। चूँकि मिन वादीया के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है। इसलिए मिन वादीया अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा हु0 ई0 दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः वाद वादीया बरखिलाफ प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि डिकी इश्तकरारहक मय दूरुस्ती इस अमर की पारित की जाकर मिन वादीया को आराजी हाल ख0न0 1355 रकबा 0.53 हैक०, वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह० मुण्डावर जिला अलवर की दानपत्र दिनांक 14/1/2019 के आधार पर कब्जेकाश्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, व इसी प्रकार से राजस्व रिर्कोड में मिन वादीया के नाम का अमल दरामद किया जाकर प्रतिवादी सं0 2 का नाम मिन वादीया के हिस्से तक हजफ किया जाकर राजस्व रिर्कोड दूरूस्त फरमाया जावे।

(ब) यह है कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा जो प्रतिवादी स0 2 के हक में बिना कब्जा दिये पोशीदा बैयनामा तस्दीक कराया है, उक्त बैयनामा के आधार पर जो प्रतिवादी स0 2 के हक में इन्तकाल स0 2798 दर्ज व मंजूर हुआ है, उस बैयनामा व इन्तकाल को मिन वादीया के हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिया जावे।

(स) यह है कि डिकी हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो वाद पत्र के पैरा सं0 1 में वर्णीत आराजी में प्रतिवादी सं0 2 व 3 अपने

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर-तिजारा)

नाम कोई इन्तकाल दर्ज नही करावे व प्रतिवादीगण कही विवादित आराजी को रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही मिन वादीयान को आराजी से बेदखलकर कब्जा करे, ना ही किसी भी प्रकार से मिन वादीयान के काश्त कार्य मे मजाहमत पैदा करे व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे।

(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादीयान को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(द) अन्य दादरसी बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे बख्सी जावे।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से श्री विजयपाल शर्मा व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री सरजीत यादव अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किय गया। प्रतिवादीगण को जबाव प्रस्तुत किये जाने बाबत कई अवसर प्रदान करने उपरान्त भी जबाव प्रस्तुत नही किया गया, इसलिए जबाव दावा बन्द किया गया।

वादीगन ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श– 1 खसरा संख्या 1355 सम्वत 2076–2079, प्रदर्श–2 ओमप्रकाश द्वारा सुमन देवी पत्नी कृष्ण को कराया गया बयनामा दिनांक 29. 014.2021 किता 5, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल 2075, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2075, प्रदर्श–5 दानपात्र दिनांक 24.01.2019 किता 7, प्रदर्श–6 इन्तकाल संख्या 2798, प्रदर्श–7 प्रस्गान आदेश दिनांक 03.01.2023 एसीजेएम मुण्डावर मुण्डावर, प्रदर्श–8 एफआईआर 309/21 किता 9 प्रदर्श–9 इकरारनामा दिनांक 26.02.2018 कि प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–10 रूपये प्राप्ति रसीद दिनांक 26.02.2018, प्रदर्श–11 एफआई आर 309 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

वादी अधिवक्ता ने वादी के वाद के दौरान बहस कथन कहे कि जो निम्न इस प्रकार है कि :–

विवादित आराजी का हाल खसरा नम्बर 1355 है ओर 1485 साबिक है। प्रतिवादी संख्या 01 ने साबिक आराजी खसरा नम्बर 1485 रकबा 0.53 है0 का 1/2 हिस्सा वादी को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 24.01.2019 को कर दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 01 वादी का सगा भाई है। वादी अनपढ महिला है। वादी ने दानपत्र को अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत तहसील कार्यालय में दस्तावेजात को जमा करा दिया गया। जिसके पश्चात उक्त दान पत्र का इन्तकाल वादी के नाम से दर्ज नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त दान पत्र का इन्तकाल दर्ज नही होने का फायदा उठाते हुय हाल आराजी खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.53 है0 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 29.01.2021 से प्रतिवादी संख्या 02 को कृषि भूमि के सम्पूर्ण हिस्से का विक्रय पत्र कर दिया गया। जो गलत है। क्योकि प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना 1/2 हिस्सा पूर्व में ही वादी को

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

दान पत्र करा दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 02 का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गया। इसलिए वादी का वाद को स्वीकर कर रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 24.01.2019 के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जावे।

वादी के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–5 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र वादी के पक्ष में करा दिया गया था। प्रदर्श–2 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 02 ने विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष में कराया गया है। प्रदर्श–5 रजिस्टर्ड दानपत्र जो प्रदर्श– 2 रजिस्टर्ड बैयनामा से पूर्व पंजिबद्व किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड बैयनामा को प्रदर्श–5 के हद तक नल एण्ड बाइड करार दिया जाता है। इसलिए वादी का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को स्वीकर किया जाता है कि वादी को आराजी हाल ख0न0 1355 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम बीजवाड चौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0 के को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी के रकबा 0.53 है0 के 1/2 भाग में हो रहे प्रतिवादीगण का नाम को कलमजन किया जाकर वादी के नाम से अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
202/2021	17.06.2021	23.04.2025

बउनवान

1. सन्तरा देवी पत्नी रघुवीरसिंह जाति जाट निवासी वार्ड सं0 3 बावल तह0 बावल जिला रेवाडी हरि0।

—: वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी नांगल उदिया तह0 मुण्डावर जिल अलवर राज0।
2. सुमन देवी पत्नी कृष्ण कुमार जाति अहीर निवासी पलावा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **श्री अरूण शर्मा एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति इस वाद में **आज दिनांक 23.04.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

वादी को आराजी हाल ख0न0 1355 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम बीजवाड बौहान तह0 मुण्डावर जिला अलवर हाल जिला खैरथल तिजारा राज0 के को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी के रकबा 0.53 है0 के 1/2 भाग में हो रहे प्रतिवादीगण का नाम को कलमजन किया जाकर वादी के नाम से अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/5/25	पत्रावली पेश। वकील डिग्री उप०/डिग्री के मुकदमे का अंतिम निर्णय हो चुका होने की स्थिति में इस पत्रावली की अग्रिम कार्यवाही को ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली में रहत सुनाई के नम्बर कम की पत्रावली जिला लेख अगार में दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)